न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी बज्जू जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी:– सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:– 103/2025

हरीसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत साकिन गोकूल तहसील बज्जू बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बज्जू।

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जालम सिंह पंवार उपस्थित
2. राजपेरोकार स्टेट की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांक:– 24.04.2026

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत खाता दुरुस्ती हेतु प्रार्थी हरीसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत साकिन गोकूल तहसील बज्जू बीकानेर द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से सामलात खाते में चक 1 जीएसएम के मुरबा नं 133/17 के किला नं 1 ता 25 में 24.05 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पुख्ता आवंटनशुदा है। उक्त आवंटित भूमि प्रार्थी की माता के नाम से आवंटित थी, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में हल्का पटवारी गोकुल द्वारा विरासतन इंतकाल संख्या 136 भरा जाकर तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं 01 के द्वारा दिनांक 20.12.2013 को स्वीकृत किया गया था। उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 136 स्वीकृत होने के पश्चात प्रार्थी व उसकी बहन बाल कंवर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में आने पर नया राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी तहरीर की गई, जिसमें नामान्तरण संख्या 136 के अनुसार रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया, जो अशुद्ध है। उक्त आवंटित कृषि भूमि में प्रार्थी व उसकी बहन का नाम त्रुटिवंश से सम्वत् 2072 की जब पहली बार नई जमाबंदी तहरीर की गई, तब तहरीर करते वक्त प्रार्थी व उसकी बहन का नाम अंकन ना करके मात्र उनके सहहिस्सेदार गुमानसिंह, नाथूसिंह, हडवन्तसिंह पिसरान लखसिंह व मीराकंवर पत्नी लखसिंह का नाम 1/4 हिस्सा में दर्ज कर दिया। प्रार्थी व उसकी बहन का नाम छोड़ दिया गया है, जो अशुद्ध है तथा यह अशुद्धि बिना किसी आदेश से की गई है, जिसकी किसी भी वक्त शुद्धि की जा सकती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि राजस्व तहसील बज्जू पटवार हल्का गोकुल के चक 1 जीएसएम के मुरबा नं 133/17 के किला नं 1 ता 25 में 24.05 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी व उसकी बहन का नाम चक 1 जीएसएम के नामान्तरण संख्या 136 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2072–2075, 2078 स्थायी जमाबंदी खाता संख्या 42 में अंकन किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जाकर पृथक से तहरीर जारी फरमावें।

प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में नामान्तरण संख्या 136 दिनांक 20.12.2013 की प्रति, जमाबंदी की प्रति दस्तावेज पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकाराज ने अत पत्रावली के साथ संलग्न साक्ष्यों, तहसीलदार बज्जू द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई।

अत: पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों, राजपैरोकार द्वारा अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर किया जाकर चक 1 जीएसएम के मुरबा नं 133/17 के किला नं 1 ता 25 में 24.05 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 136 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार पालना कर रिकॉर्ड राजस्व में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तददानुसार राजस्व बज्जू नामान्तरण संख्या 136 दिनांक 20.12.2013 अनुसार रिकॉर्ड में दुरूस्ती करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार राजस्व, बज्जू को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बज्जू (बीकानेर)

(सांवरमल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला बीकानेर